प्रपत्र -5

## SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
### ( For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from...अधिशासी अभियन्ता.........लो० नि० वि० बागेश्वर

Uttarakhand for diversion under FCA-1980 of 6.060 ha. of forest land non foresty purpose. The project envisages the use of forest land for construction of हरीनगरी पया भेटा मार्ग का दाबू हडाप तक विस्तार......The site inspection of the land ivolved in the proposal has been done by me on dated......25-11-2013......

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ Un- classed/ Protected forest measuring 6.060 ha.

The reuirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and funa found in the area. if, so the details there of. NO

Whether any protected archeological/ heritage site / defence establishment or any other important monuments is located in the area. if so, the details there of with NOC from competent authority, if required. NO

✓ (a) The user agency has not violated the provisions of forest Conservation act 1980 and no work has been started without proper sanction. NO

✗ (b) It has been found that the user agency has violated the forest conservation act 1980 provisios. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest Conservation Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance of other wise of the proposal.

स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place बागेश्वर
Date 25-11-2013

Signature
Name......प्रभागीय वनाधिकारी
Designation......बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
Office Seal,

N.B. x State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted,
x Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment and Forest, Government of India of Proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservator of forest is required.

## विषय सूची



| क0सं0 | प्रपत्र | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रतिवेदन | 1 |
| 2 | परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति | 2-6 |
| 3 | भारत सरकार के प्रपत्र | 7-12 |
| 4 | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट | 13 |
| 5 | प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल | 14-15 |
| 6 | प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची | 16-17 |
| 7 | बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र | 18 |
| 8 | राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र | 19 |
| 9 | प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र, डिजिटल एवं गगुल मैप | 20-23 |
| 10 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना | 24-25 |
| 11 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र | 26 |
| 12 | परियोजना का बार चार्ट | 27 |
| 13 | रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र / आंगणन | 28-29 |
| 14 | प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र | लागू नहीं। |
| 15 | प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र | लागू नहीं। |
| 16 | आम सभा का प्रमाण–पत्र | 30 |
| 17 | परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र | 31 |
| 18 | वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र | 32 |
| 19 | परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र | 33 |
| 20 | भू–वैज्ञानिक की आख्या | 34-37 |
| 21 | भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र | 38 |
| 22 | टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र | 39-40 |
| 23 | वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र | 41 |
| 24 | अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र | 42 |
| 25 | धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र | 43 |
| 26 | लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र | 44 |
| 27 | दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र | 45 |
| 28 | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र | 46 |
| 29 | वन भूमि के लिए एन0पी0वी0 का निर्धारण प्रमाण–पत्र | 47 |
| 30 | एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र | 48 |
| 31 | लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र | 49-52 |
| 32 | प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र | 53 |
| 33 | परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना | 54-57 |
| 34 | मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र | 58-59 |
| 35 | आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्राकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र | लागू नहीं। |
| 36 | लीज अवधि का प्रमाण–पत्र | लागू नहीं। |
| 37 | जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान | लागू नहीं। |
| 38 | प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण | लागू नहीं। |
| 39 | पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र | 60-61 |
| 40 | परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें | लागू नहीं। |



सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी—पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 2490/111(2)/ 08—61 (प्रा.आ.)/ 2007 दिनांक 25.07.2008 द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि0मी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 473.11 लाख के लिए प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा विकास खंड, गरूड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/06/150/2005/एफसी./ 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी. आई.—1047/7—1—2006/600/ (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं सर्वेक्षण उपरान्त दाबू हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि0मी0 आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप ग्रामसभा सिमगढ़ी विकास खंड गरूड़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जनपद बागेश्वर एवं चमोली की सीमा में स्थित है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं घोड़े खच्चरों के माध्यम से ढुलान व्यय अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरूड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इस मार्ग के संरेखण में 6.06 है0 वन भूमि एवं 417 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है, अतः मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियंता | अधिशासी अभियंता |
| प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 | प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 |
| बागेश्वर | बागेश्वर |

प्रपत्र सं. 1

# परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(1)

## प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 2490 / 111(2) / 08–61 (प्रा.आ.) / 2007 दिनांक 25.07.2008 द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि0मी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 473.11 लाख के लिए प्रदान की गयी है। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न हैं।)

शासन द्वारा विकास खंड, गरूड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थीं जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी / 06 / 150 / 2005 / एफसी. / 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी.आई.–1047 / 7–1–2006 / 600 / (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा 4.90 हैक्टेयर वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त दाबू हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि0मी0 आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप जनपद बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं घोड़े खच्चरों के माध्यम से ढुलान व्यय अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरूड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। मोटर मार्ग का निर्माण Vertical cutting कर किया जाना है अत Horizontal width 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार ही की गयी है। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है अतः मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा। मार्ग के संरेखण में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार डिजिटल एवं गगुल मैप में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर इन्डैक्स मानचित्र के साथ प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

**संरेखण संख्या 1** जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण हरिनगरी पयां मोटर मार्ग के कि.मी. 5 के अंत से प्रस्तावित किया गया है जो बीच बीच में सिविल सोयम एवं नाप भूमि होते हुए आरक्षित वन भूमि में दाबू हड़ाप तक जायेगा। इसमें वृक्ष कम प्रभावित होते हैं और अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

**संरेखण नं0 2** जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि0मी0 5 से ही रखा गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण मार्ग आरक्षित, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि से होकर जायेगा एवं वृक्ष अधिक प्रभावित होते है। मानकों के अनुसार ग्रेड भी नहीं मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में वन सम्पदा को अधिक क्षति होती है जिस कारण इसे निरस्त किया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 9.50 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 6.060 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 3

राज्य सेक्टर/आयोजनागत
संख्याः–2490/।।। (2)/08–61(प्रा0आ0)/2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 25 जुलाई, 2008

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–2009 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अर्न्तगत 60 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत उपलब्ध कराये गये 60 कार्यों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये कुल 60 कार्यो के आगणनों लागत रू0 14621.83 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रू0 14602.48 लाख की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए उनके सम्मुख कालम–03 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित रू0 1.00 करोड से अधिक लागत के कार्यो पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.5.2008 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करा ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचिलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनशशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य करातं समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डरं करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें आयोजनागत– 800 अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –02 नये कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**10. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–673(3)/XXVII(2)/2008, दि० 25/7 दिनांक 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

**संलग्नक– 60 कार्यो की सूची।**

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या–2490(1)/III–(2)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

शासनादेश संख्याः 2490/III–2/08–61(प्रा.आ0)/2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक

| क.सं. | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी0 में) | लागत (लाख रू0) में | टी.ए.सी. वित्त द्वारा स्वीकृत धनराशि | व्यय की स्वीकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | रूद्रप्रयाग में ग्राम कुणजेटी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 2.00 | 73.50 | 73.50 | 0.10 |
| 2. | रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में खांकरा–पौड़ीखाल–गहड़खाल मोटर मार्ग से मरगॉव सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण | 4.00 | 147.00 | 147.00 | 0.10 |
| 3. | रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी वि0ख0 में शिवनन्दी से सिम्तोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण | 4.00 | 147.00 | 147.00 | 0.10 |
| 4. | रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में आश्रम से घरडा–मखेत मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार | 6.00+ 45मी0 सेतु | 358.00 | 358.00 | 0.10 |
| 5. | रूद्रप्रयाग में डुंगर बैण्ड से सिल्ला बामणगॉव तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन | 2.00 | 56.70 | 56.70 | 0.10 |
| 6. | रूद्रप्रयाग में कमसाल जगोठ (अम्बेडकर ग्राम) गणेशनगर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीकरण | 4.25 | 89.25 | 89.25 | 0.10 |
| 7. | रूद्रप्रयाग में कणसिल–जाबरी–कान्दी हल्का वाहन मोटर का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण | 1.00 | 28.35 | 28.35 | 0.10 |
| 8. | नैनीताल में देवलचौड़ आनन्दपुर चौकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार | 2.500 | 88.25 | 76.65 | 0.10 |
| 9. | नैनीताल में चोरगलिया के देवपुरा–सनवाल क्षेत्र के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग | 2.00 | 56.00 | 56.00 | 0.10 |
| 10. | नैनीताल में चोरगलिया के धरमगढ़ क्षेत्र के आन्तरिक मार्ग का निर्माण | 2.00 | 56.00 | 56.00 | 0.10 |
| 11. | चम्पावत में किमतोली रौसाल मोटर मार्ग के पिलखी लिंक मोटर मार्ग विण्डा तिवारी तक विस्तार | 5.00 | 175.00 | 175.00 | 0.10 |
| 12. | चम्पावत में किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग से टम्टा काण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण | 6.00 | 210.00 | 210.00 | 0.10 |
| 13. | चम्पावत में सिप्टी–नायड़ी मोटर मार्ग का विस्तार | 4.00 | 140.00 | 140.00 | 0.10 |
| 14. | चम्पावत में नरसिंह डांडा–गुरौली (कैन्यूरा) मोटर मार्ग के किमी0 7 से बाईपास मार्ग निर्माण | 5.00 | 175.00 | 175.00 | 0.10 |
| 15. | चम्पावत में टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण | 3.00 | 105.00 | 105.00 | 0.10 |
| 16. | बागेश्वर में दुदीला–अमोली–महरपाल मोटर मार्ग का नव निर्माण | 10.00 | 387.70 | 387.10 | 0.10 |
| 17. | बागेश्वर में हरिनगरी–पथ्या मोटर मार्ग का हड़ापडाबू तक विस्तार | 10.00 | 473.11 | 473.11 | 0.10 |
| 18. | बागेश्वर में कज्यूली–कोटफुलवारी–पडियार खेत मोटर मार्ग का नव निर्माण | 5.00 | 400.55 | 400.55 | 0.10 |
| 19. | बागेश्वर में मच्छीबगड़–ग्वालदे तक मोटर मार्ग का निर्माण | 10.00 | 517.50 | 517.50 | 0.10 |

(6) (7)

शासनादेश सं० 2490/III(2)/08-61(ग्रा०आ०)/2007 का संलग्नक, 25/7/08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | अल्मोडा में सौज–ढटवाल गॉव मोटर मार्ग निर्माण | 2.50 | 87.50 | 87.50 | 0.10 |
| 44. | अल्मोडा में मजखाली–दिगोटी मोटर मार्ग मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण | 4.00 | 140.00 | 140.00 | 0.10 |
| 45. | अल्मोड़ा में द्वारसौं काकडी घाट मोटर मार्ग से टुरकोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण | 3.00 | 105.00 | 105.00 | 0.10 |
| 46. | अल्मोडा में विकास खण्ड लमगडा के अन्तर्गत टकौली बैण्ड से बड़यूडा–बलमा मोटर मार्ग का नव निर्माण | 17.00 | 595.00 | 595.00 | 0.10 |
| 47. | चमोली में मींग गधेरा–गडकोट मोटर मार्ग का करचूड़ा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित | | 227.34 | 227.34 | 0.10 |
| 48. | चमोली में नन्दप्रयाग–देवखाल मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से ग्राम दादर तक मोटर मार्ग का निर्माण | | 119.28 | 119.28 | 0.10 |
| 49. | चमोली में ग्राम कस्बीनगर तक मोटर मार्ग का सुधारीरण एवं डमरीकरण | 5.00 | 105.00 | 105.00 | 0.10 |
| 50. | चमोली में हरमनी–करच्यूडा मोटर मार्ग का नव निर्माण | 8.00 | 294.00 | 294.00 | 0.10 |
| 51. | चमोली में जिलासू–आली मोटर मार्ग का विस्तार | 6.00 | 220.50 | 220.50 | 0.10 |
| 52. | कूर्णप्रयाग के अन्तर्गत शिमली चुलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी० 10 से बनियास हेतु मोटर मार्ग निर्माण | 5.00 | 183.75 | 183.75 | 0.10 |
| 53. | गैरसैंण के अन्तर्गत खेती बेढ़ी छिमटा मोटर मार्ग का ग्राम रीठा मंगनी तक विस्तार | 10.00 | 455.37 | 455.37 | 0.10 |
| 54. | विकास खण्ड घाट में सितैल से ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण | 10.00 | 367.50 | 367.50 | 0.10 |
| 55. | चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से बेनोली तक मोटर मार्ग का विस्तार | 10.00 | 367.50 | 367.50 | 0.10 |
| 56. | टिहरी के जाखणीधार में जीरो ब्रिज से गडूगाडमयू चोपड़ा सैंण पिपोला मोटर मार्ग निर्माण | 4.00 | 140.00 | 140.00 | 0.10 |
| 57. | उत्तरकाशी में आराकोट–क्लीच–थुनारा–डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 175.00 | 175.00 | 0.10 |
| 58. | उत्तरकाशी में मोरी–मोताड मोटर मार्ग का निर्माण | 3.00 | 105.00 | 105.00 | 0.10 |
| 59. | उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा मोटर मार्ग से डांडा गांव मोटर मार्ग का निर्माण | | 110.25 | 110.25 | 0.10 |
| 60. | उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगॉव–चांपड़ा– सरोट मोटर मार्ग से बनोटपल्ला मोटर मार्ग का निर्माण | | 147.00 | 147.00 | 0.10 |
| | कुल योग | | **14621.83** | 14602.48 | 6.00 |

( रू0 छः लाख मात्र )

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 2.

(7)

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)

## राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
### भाग–1
### (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

| क.सं. | परियोजना विवरण :– | |
|---|---|---|
| 1 | क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | **एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.50 कि.मी.।** |
| | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न है। |
| | ग) परियोजना की लागत। | रू0 473.11 लाख (शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है ) |
| | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने के कारण मार्ग को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है। |
| | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | प्रस्ताव में संलग्न है। |
| | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 150 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रूकेगा। |
| 2 | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: | आरक्षित वन भूमि – 5.585 है0<br>वन पंचायत भूमि – 0.220 है0<br>सिविल सोयम भूमि– 0.255 है0<br>**कुल वन भूमि – 6.060 है0**<br>नाप भूमि – 0.590 है0<br>**कुल भूमि :– – 6.650 हैक्टेयर**<br>( कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु) |
| 3 | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों,<br>क) परिवारों की संख्या | आवश्यकता नहीं है।<br>लागू नहीं है। |
| | ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | लागू नहीं है। |
| | ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | आवश्यकता नहीं है। |
| 4 | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) | मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता। (वचनवद्धता संलग्न की जाये) | सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण एवं 5 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि सम्मिलित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन/मानचित्र एवं प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर उचित वृक्षारोपण हेतु आंगणन वन विभाग से तैयार करा कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं जिसका व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचतबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। | अनुकमणिका सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है। |

दिनांक 02/02/13
स्थान– बागेश्वर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 2.1

प्रस्ताव की कम संख्या..........................................................................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाऐगा

९

## भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

| क. सं. | विवरण | |
|---|---|---|
| 7 | परियोजना/स्कीम का स्थान | **एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.50 कि.मी.** |
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखंड |
| ii) | जिला | बागेश्वर |
| iii) | वन प्रभाग | बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) | **6.060 हैक्टेयर** |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित, सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि। |
| vi) | हरियाली का घनत्व | **0. 3** / Eco. class V |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। | सूची पृ0सं0 16 पर संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | मार्ग का अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि से जा रहा है। |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए) | संलग्न है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | —n— |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | —n— |
| 8 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | —n— |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | —n— |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः– | |
| **i)** | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। | संलग्न है। |
| **ii)** | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | –"– |
| **iii)** | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। | बांज फल्यांट तेजपात्र काफल बौराल आदि |
| **iv)** | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | संलग्न है। |
| **v)** | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | –"– |
| **11** | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (**xi, xii**) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | –"– |
| **12** | प्रभाग / जिला प्रोफाइल | |
| **i)** | जिला का भौगोलिक क्षेत्र। | 2310 वर्ग कि०मी० |
| **ii)** | जिला का वन क्षेत्र। | 1074 –"– |
| **iii)** | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | 355 मामले 1453.2083 है० |
| **iv)** | 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण | 1315.278 है० |
| **क)** | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | – |
| **ख)** | वनेत्तर भूमि पर ............................ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | – |
| **क)** | वन भूमि पर | 1001.006 है० |
| **ख)** | वनेत्तर भूमि पर | 234.272 है० |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। | स्वीकृति की संस्तुति की जाती है। |

दिनांक 25-11-2013
स्थान बागेश्वर

हस्ताक्षर
नाम प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र सं. 2.2



भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

| | | |
|---|---|---|
| 14– | स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | अपेक्षित नहीं।<br>दिनांक 18/5/2014 |
| 15– | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। | सहमत। |
| 16– | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश। | जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 10–20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। |

तिथि – 07/6/2014

स्थान – अल्मोड़ा

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रपत्र सं. - 4

(13)

परियोजना का नामः– एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पर्या मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25.10.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री एस.एस. करायत, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से मदन सिंह बिष्ट, राजस्व उप निरीक्षक एवं श्री मदन सिंह नेगी, राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हीरा बल्लभ भट्ट, अपर सहायक अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 5.585 है0, सिविल सोयम भूमि 0.255 है0, वन पंचायत भूमि 0.220 है0 कुल 6.060 है0 वन भूमि एवं 0.590 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

(एच.बी.भट्ट)
अपर सहायक अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(मदन सिंह नेगी)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वन क्षेत्र अधिकारी
गरुड़ (बज्यूला)
वन विभाग प्रतिनिधि

(बिनोद कुमार)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (बज्यूला)

तहसीलदार
गरुड़

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No--Memo--7/2014 Dated--19-12-2014

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.060 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Extention of Hari Nagri- Payan Motor road upto Dabu Harap** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Simgari (Dabu and Harap) Village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

**(a)** the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.060 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 **(Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**

**(b)** the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;------ **(Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

जिला अधिकारी

बागेश्वर

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

**परियोजना का नामः–** **एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र**

**ग्राम पंचायत का नाम सिमगड़ी**
**तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.585 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.255 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.220 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 6.060 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमगड़ी द्वारा दिनांक 12-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मल्ला पयां, सिमगड़ी, दाबू एवं हड़ाप ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड
ह0 /
ग्राम सचिव

प्रधान 18/11/2014
ग्राम पचायत – पय्या
गरूड़, जनपद – बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत सिमगड़ी (दाबू)
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
ह0 /
ग्राम प्रधान

**नोटः–** * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनाक 12-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमगड़ी

| क्र0 सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | कंचनराम S/O केसीराम | कंचनराम |
| 2 | प्रेम बल्लभ S/O देवी दत्त | प्रेम बल्लभ |
| 3 | देवकी देवी W/O महिपालराम | देवकी देवी |
| 4 | कमलराम S/O चैतराम | कमलराम |
| 5 | दरबान सिंह S/O पान सिंह | दरबान सिंह |
| 6 | नीमा देवी W/O ईश्वर सिंह | नीमा देवी |
| 7 | पुष्पा देवी | पुष्पा देवी |
| 8 | | |
| 9 | मोहन सिंह S/O अजय सिंह | मोहन सिंह |
| 10 | प्रतापराम S/O चैतराम | प्रतापराम |
| 11 | महिपालराम S/O सोबनराम | महिपाल राम |
| 12 | महावीरराम / देवानराम S/O व्यालुराम | महावीर |
| 13 | हिरा सिंह S/O अजय सिंह | देवान राम |
| 14 | गोरीराम S/O हयात राम | हिरासिंह |
| 15 | बादुरीराम S/O मोहन राम | गोरी राम |
| 16 | चैतराम S/O किशी राम | बादरी राम |
| 17 | गोपालराम S/O किसन राम | चैत राम |
| 18 | हिराराम S/O भजनराम | गोपाल राम |
| 19 | दरबानराम S/O अजयराम | हिरा राम |
| 20 | पानी राम | दरबान राम / पानी राम |

(21) राजेन्द्र सिंह S/O सोबनराम

(22) [signature]

(23) कैलाश चन्द

(24) भागवत सिंह

25 चन्दन सिंह

26 प्रतापसिंह

27 मोहन सिंह

26 कैलाशसिंह

27 रतनसिंह

28 केदारसिंह

29 सुन्दरसिंह

30 मालती देवी

P.T.O.

दरबानराम
प्रधान
ग्राम पंचायत सिमगड़ी (दाबूँ)
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

दरबानराम
सरपंच
वन पंचायत सिमगड़ी दाँबू
क्षेत्र गरुड़ (बागेश्वर)

प्रपत्र–23.2

**परियोजना का नामः–** **एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोअर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।**

## कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड़
## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

### उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरिनगरी पयां मोटरमार्ग कादाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.585 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.255 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.220 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 6.060 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड़ की दिनांक 19.11.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | श्री सी0एस0डोभाल | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2– | श्री एस0एन0 त्रिपाठी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3– | श्री राजेन्द्र प्रसाद | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4– | श्री लाल सिंह | बी0डी0सी0 क्षेत्र जखेड़ा | सदस्य |

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र – जखेड़ा, वि0 ख0 गरूड़
जनपद – बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए (उप0) जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर
उपजिला अधिकारी
गरूड़, जिला-बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर
उपजिला अधिकारी
गरूड़, जिला-बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

## जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

| | | |
|---|---|---|
| 1– | जिलाधिकारी, बागेश्वर | अध्यक्ष |
| 2– | प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर | सदस्य |
| 3– | जिला पंचायत सदस्य | सदस्य |
| 4– | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |

आज दिनांक 7-11-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2014 द्वारा हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.060 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये ज ाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए 6.060 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग के लिए 6.060 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

7/11/14

| | | |
|---|---|---|
| जिला समाज कल्याण अधिकारी<br>बागेश्वर | प्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर | जिलाधिकारी<br>बागेश्वर |

प्रपत्र–23.3

**परियोजना का नामः–** **एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।**

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाइन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

**परियोजना का नामः–** **एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।**

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.060 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9 / 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

प्रपत्र सं॰ - 11

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(14)

## लैन्ड शैड्यूल

**आरक्षित वन भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (वन विभाग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र**

| जिला | प्रभाग का नाम | वन ब्लौक / कम्पार्टमैंट नं0 | लम्बाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में | क्षेत्रफल हैक्टेयर में |
|---|---|---|---|---|---|
| बागेश्वर | बागेश्वर | कम्पार्टमैंट नं. 8, | 1100 | 07 | 0.770 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | कम्पार्टमैंट नं. 36 | 1650 | 07 | 1.155 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | कम्पार्टमैंट नं. 33 | 320 | 07 | 0.224 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | कम्पार्टमैंट नं. 32 | 1480 | 07 | 1.036 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | कम्पार्टमैंट नं. 31—30 | 3429 | 07 | 2.400 |
| | | **कुल योग** | **7979** | **07** | **5.585** |

वन क्षेत्राधिकारी गढखेत (लौ) — वन क्षेत्र अधिकारी गड़खेत

उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर — प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

## लैन्ड शैड्यूल

**सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि के लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र**

| जिला | तहसील | ब्लाक / गांव | खसरा संख्या | कुल रकवा | | याचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नाली | मुट्ठी | |
| बागेश्वर | गरूड़ | मल्ला पयां सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ग | 39 | 00 | 02 | 0.003 |
| बागेश्वर | गरूड़ | मल्ला पयां सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ग | 41 | 01 | 03 | 0.024 |
| बागेश्वर | गरूड़ | मल्ला पयां सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 47 | 00 | 05 | 0.006 |
| बागेश्वर | गरूड़ | मल्ला पयां सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 118 | 01 | 01 | 0.021 |
| बागेश्वर | गरूड़ | मल्ला पयां सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 119 | 00 | 06 | 0.007 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 19 | 01 | 05 | 0.026 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 30 | 00 | 14 | 0.016 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 34 | 00 | 11 | 0.014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 35 | 00 | 01 | 0.001 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 36 | 00 | 02 | 0.003 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 37 | 00 | 03 | 0.004 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 38 | 00 | 10 | 0.013 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 39 | 00 | 08 | 0.010 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 74 | 01 | 07 | 0.029 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 75 | 01 | 11 | 0.034 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 209 | 01 | 01 | 0.034 |
| बागेश्वर | गरूड़ | सिमगढी (दाबू) सिविल सोयम श्रेणी 9(3) ड़ | 242 | 00 | 08 | 0.010 |
| **सिविल सोयम भूमि का योग** | | | **17 नं.** | **12** | **12** | **0.255** |
| बागेश्वर | गरूड़ | वन पंचायत सिमगढ़ी | 424 | 01 | 04 | 0.025 |
| बागेश्वर | गरूड़ | वन पंचायत सिमगढ़ी | 425 | 05 | 08 | 0.110 |
| बागेश्वर | गरूड़ | वन पंचायत सिमगढ़ी | 426 | 04 | 04 | 0.085 |
| **वन पंचायत भूमि का योग** | | | **03** | **11** | **00** | **0.220** |
| **सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि का योग** | | | **20** | **23** | **12** | **0.475** |

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

तहसीलदार
गरुड़

जिलाधिकारी
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – जखेडा

वन क्षेत्र अधिकारी
गढखेत (बज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(16)

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संख्या— / दिनांक: 2012

### वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र / सारांश

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.500 कि0मी0 के निर्माण हेतु 6.060 है0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

| कसं | ब्लाक | प्रजाति | व्यास वर्ग | | | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | | 0.10 | 10.20 | 20.30 | 30.40 | 40.50 | 50.60 | 60.70 | 70.80 | 80.90 | 90 से अधिक | |
| 1 | कुलाऊँ क0 8 | चीड़ हरा खड़ा | — | 24 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 68 |
| 2 | कुलाऊँ क0 8 | उतीस हरा खड़ा | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 3 | लमचूला क0 36 | चीड़ हरा खड़ा | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 7 |
| 4 | लमचूला क0 36 | अयार हरा खड़ा | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 5 |
| 5 | लमचूला क0 33 | चीड़ हरा खड़ा | — | 14 | 19 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | 43 |
| 6 | लमचूला क0 33 | काफल हरा खड़ा | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 7 | लमचूला क0 32 | चीड़ हरा खड़ा | 6 | 24 | 15 | 17 | 9 | 4 | — | — | — | — | 75 |
| 8 | लमचूला क0 32 | काफल हरा खड़ा | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 9 | लमचूला क0 32 | अयार हरा खड़ा | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 10 | लमचूला क0 31 | चीड़ हरा खड़ा | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 19 |
| 11 | लमचूला क0 31 | उतीस हरा खड़ा | — | 4 | 5 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | 19 |
| 12 | लमचूला क0 30 | चीड़ हरा खड़ा | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | — | — | — | 87 |
| 13 | लमचूला क0 30 | अयार हरा खड़ा | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 18 |
| 14 | लमचूला क0 30 | बुरांश हरा खड़ा | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 15 | लमचूला क0 30 | बांज हरा खड़ा | — | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| वन भूमि में वृक्षों का योग | | | **27** | **99** | **98** | **67** | **39** | **23** | **16** | **3** | — | — | **372** |
| 1 | नाप भूमि | चीड़ हरा खड़ा | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | — | — | — | — | 23 |
| 2 | नाप भूमि | अन्य प्रजाति | — | 5 | 12 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | 22 |
| वन भूमि में वृक्षों का योग | | | **4** | **7** | **17** | **5** | **3** | **8** | **1** | — | — | — | **45** |
| कुल प्रभावित वृक्षों का योग | | | **31** | **106** | **115** | **72** | **42** | **31** | **17** | **3** | — | — | **417** |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी गड़खेत | उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर | प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी गड़खेत (लमचूला) | उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर | प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र सं. 15.6 (17)

एस0सी0पी0 अन्तर्गत हरीनगरी पय्यॉ मोटर मार्ग का टाबू –हडाप तक विस्तार ल010 कि.मी.चौ0 7 कि.मी. संयुक्त निरीक्षण अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची। संयुक्त निरीक्षण की तिथि 25/10/2012 गढखेत वन क्षेत्र बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

| क0सं0 | स्थल का नाम | प्रजाति | व्यासवार | वृक्षों की संख्या | मूल्य | धनराशि (रू0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आरक्षित वन | चीड़ हरे खड़े | 0.10 | 24 | 54 | 1296.00 |
| | | | 10.20 | 78 | 231 | 18018.00 |
| | | | 20.30 | 78 | 471 | 36738.00 |
| | | | 30.40 | 47 | 1873 | 88031.00 |
| | | | 40.50 | 30 | 4325 | 129750.00 |
| | | | 50.60 | 23 | 7573 | 174179.00 |
| | | | 60.70 | 16 | 12328 | 197248.00 |
| | | | 70.80 | 3 | 17573 | 52719.00 |
| | | | **Total** | **299** | – | **697979.00** |
| 2 | | उतीस हरे खड़े | 10.20 | 7 | 154 | 1078.00 |
| | | | 20.30 | 7 | 747 | 5229.00 |
| | | | 30.40 | 8 | 1492 | 11936.00 |
| | | | 40.50 | 3 | 2105 | 6315.00 |
| | | | **Total** | **25** | – | **24558.00** |
| 3 | | अयार हरा खड़ा | 0.10 | 2 | 62 | 124.00 |
| | | | 10.20 | 10 | 154 | 1540.00 |
| | | | 20.30 | 5 | 747 | 3735.00 |
| | | | 30.40 | 5 | 1492 | 7460 |
| | | | 40.50 | 6 | 2105 | 12630 |
| | | | **Total** | **28** | – | **25489.00** |
| 4 | | काफल हरे खड़े | 20.30 | 4 | 154 | 616.00 |
| | | | 30.40 | 2 | 747 | 1494.00 |
| | | | **Total** | **6** | – | **2110.00** |
| 5 | | बुरॉश हरे खडे | 0.10 | 1 | 62 | 62.00 |
| | | | 10.20 | 1 | 154 | 154.00 |
| | | | 20.30 | 1 | 747 | 747.00 |
| | | | **Total** | **3** | – | 963.00 |
| 6 | | बॉज हरे खड़े | 10.20 | 3 | 154 | 462.00 |
| | | | 20.30 | 3 | 747 | 2241.00 |
| | | | 30.40 | 5 | 1492 | 7460.00 |
| | | | **Total** | **11** | – | **10163.00** |
| | | | | **कुल वृक्ष 372 =761262.00** | | |

(17 A)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नाप भूमि | चीड़ हरे खड़े | ( 10 | 4 | 54 | 216.00 |
| | | | 10.20 | 2 | 231 | 462.00 |
| | | | 20.30 | 5 | 471 | 2355.00 |
| | | | 30.40 | 4 | 1873 | 7492.00 |
| | | | 40.50 | 3 | 4325 | 12975.00 |
| | | | 50.60 | 5 | 7578 | 37865.00 |
| | | | **Total** | **23** | — | **61365.00** |
| | | बॉज व अन्य प्रजाति | 10.20 | 5 | 154 | 770.00 |
| | | | 2[illegible].30 | 12 | 747 | 8964.00 |
| | | | 30.40 | 1 | 1492 | 1492.00 |
| | | | 40.50 | — | — | — |
| | | | 50.60 | 3 | 3484 | 10452.00 |
| | | | 60.70 | 1 | 5973 | 5973.00 |
| | | | **Total** | **22** | — | **27651.00** |
| | | | | | | **कुल वृक्ष 45 =27651.00** |
| | | | | वृक्ष | — | धनराशि |
| | | | महायोग | **417** | — | **850278.00** |
| | | | | | | |

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत वन क्षेत्र (...ला)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र सं.- 16 (18)

**परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

## बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.500 कि0मी0 के निर्माण के लिए 6.060 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 18/5/2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

| कसं | ब्लाक | प्रजाति | व्यास वर्ग | | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.10 | 10.20 | 20.30 | 30.40 | 40.50 | 50.60 | 60.70 | 70.80 | 80 से अधिक | |
| 1 | लमचूला क0 30 | बांज हरा खड़ा | — | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | 11 |
| | कुल योग | | - | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | 11 |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमायूँ वृत,
अल्मोड़ा
(मुहर: वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा)

वनक्षेत्र अधिकारी
गड़खेत
(मुहर: वन क्षेत्र अधिकारी गड़खेत (लमचूला))

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर)

प्रपत्र सं. 18 एवं 19

(19)

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण—पत्र

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.50 कि0मी0 के निर्माण के लिए हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 6.060 हैक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा हाथी कोरिडोर का हिस्सा नही है। प्रस्तावित संरेखण से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी लगभग 69 कि0मी0 है।

| | | |
|---|---|---|
| वनक्षेत्र अधिकारी<br>गड़खेत | उपप्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर | प्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर |

(25)

प्रपत्र सं. 35

जनपद बागेश्वर के हरि नगरी पैया मोटर मार्ग का, दाबू हड़ाप तक विस्तार ल0 9.50 कि0मी0 में प्रभावित होने वाली वन भूमि 6.06 है0 के दुगुने क्षेत्रफल 12.12 है0 का क्षतिपूरक वनीकरण प्राकलन

क्षति पूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम – ग्राम बगाडुंगा की सिविल भूमि।

रोपित की जाने वाले पौधों की सं.– 24240.00

रोपित की जाने वाले प्रजाति – बॉज,फल्यॉट,क्वैराल,अकेशिया,मनीपुरी बॉज तेजपात आवला आदि

| क्रम स0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 | इकाई दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | 12.12 | 42.50 | 515.00 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई एवं झाडी कटान आदि | 12.12 | 255 | 3091.00 |
| 3 | अग्रिम दीवाल बन्दी प्रति है. 84 घन मी. औसत | 1018.08 | 137 | 139477.00 |
| 4 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य स्टोन चैक डेम 8x6849 | 12.12 | 6849 | 83010.00 |
| 5 | वाटर हारेवैसटिंगा चैकडैम 8x2055 | 12.12 | 2055 | 24907.00 |
| 6 | गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) | 24240 | 3.20 | 77568.00 |
| 7 | निरीक्षण बटिया प्रथम वर्ष | 12.12 | 212 | 2569.00 |
| 8 | पौधों की कीमत प्रथम वर्ष | 24240 | 2.60 | 63024.00 |
| 9 | अन्य व्यय जैसे संयत्र औजार तेज करना वर्षा जल सग्रहण हेतु आवश्यकता हेतु गड्डे खोदना | 12.12 | 212 | 2569.00 |
| | योग प्रथम चरण | | | **396730.00** |
| | द्वितीय चरण का व्यय आगणन | | | |
| 1 | गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) | 24240 | 0.50 | 12120.00 |
| 2 | पोधों की कीमत द्वितीय वर्ष | 24240 | 0.41 | 9938.00 |
| 3 | पौधों का ढुलान कार्य 25 प्रतिशत नंगी जड पौध तथा 75 प्रतिशत बैग पौध 25 किमी वाहन व 3 किमी सिरबोझ औसत पर | 24240 | 2.93 | 71023.00 |
| 4 | पौधरोपण एवं थावला बन्दी | 24240 | 0.90 | 21816.00 |
| 5 | निराई गुडाई एवं मल्चिग कार्य वर्ष में दो बार | 24240 | 0.66 | 15998.00 |
| 6 | खाद व दवा क्रय व्यय प्रति सैकड़ा | 24240 | 9.10 | 2206.00 |
| 7 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 8 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 8 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तगर्त सूखे घास फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| 9 | सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड के बहार 4 मी. पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 10 | वृक्षारोपण से लाभन्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अन्य सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना | 12.12 | 274 | 3381.00 |
| 11 | अन्य व्यय साईन बोर्ड पौधों का ढुलान हेतु टोकरी सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षों से बचने हेतु पौलथीन सीट ,क्रय कर वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य का प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमैदेशन आदि कार्य | 12.12 | 630 | 7636.00 |
| | योग द्वितीय वर्ष | | | **191750.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | तृतीय चरण | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग तृतीय वर्ष | | | **49292.00** |
| | चतुर्थ वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग चतुर्थ वर्ष | | | **49292.00** |
| | | | | |
| | पंचम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग पंचम वर्ष | | | **49292.00** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | षष्ठम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 27753.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्र्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग षष्ठम वर्ष | | | **33898.00** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सप्तम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्र्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग सप्तम वर्ष | | | **49292.00** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अष्ठम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्र्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग अष्ठम वर्ष | | | **49292.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | नवम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग नवम वर्ष | | | **49292.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | दशम वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग दशम वर्ष | | | **49292.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एकादश वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल / घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग एकादश वर्ष | | | **49292.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | दादश वर्ष | | | |
| 1 | देख–रेख एवं रखाव रोपण वर्ष में 12 माह कम से कम 10 है0 पर | 12.12 | 3560 | 43147.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना | 12.12 | 137 | 1660.00 |
| 3 | सुरक्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मी पटटी साफ करना | 12.12 | 96 | 1164.00 |
| 4 | वृक्षारोपण से लाभवन्ति होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना तथा अग्नि सुरक्षा | 12.12 | 274 | 3321.00 |
| | योग दादश वर्ष | | | **49292.00** |
| | | | **महायोग–** | **1066006.00** |

(दस लाख छियासठ हजार छह मात्र)

प्राक्लन मूल में श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग के सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

वन क्षेत्रअधिकारी
गढखेत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र सं.. 36

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।** (26)

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.50 कि0मी0 के निर्माण के लिए प्रस्तावित 6.060 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने क्षेत्र अर्थात् 12..120 हैक्टेयर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र ग्राम ...... रैंज ...... न क्षेत्र, वन प्रभाग, बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि उपयुक्त है।

| | | |
|---|---|---|
| वनक्षेत्र अधिकारी<br>गड़खेत (धरम्युला) | उपप्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर | प्रभागीय वनाधिकारी<br>बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर |

प्रपत्र सं. 13

परियोजना का नाम:– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(27)

## भूमि का बारचार्ट

**पैमाना 1 से0मी0 = 500 मीटर**

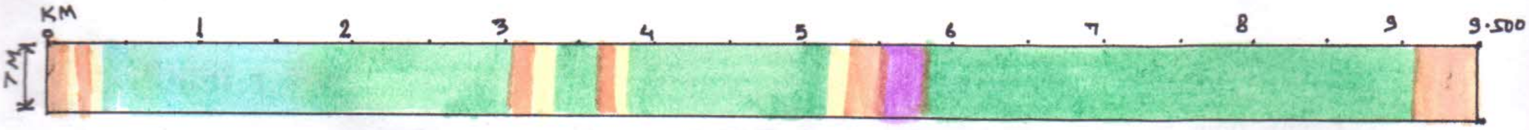


ब्योरा

| | | |
|---|---|---|
| 0.000 - | 0.150 | नाप ग्रा.पयां |
| 0.150 - | 0.200 | सिविल सोयम ग्रा.पयां |
| 0.200 - | 0.250 | नाप ग्रा.पयां |
| 0.250 - | 0.300 | सिविल सोयम ग्रा.पयां |
| 0.300 - | 1.400 | आरक्षित क. 8 |
| 1.400 - | 3.050 | आरक्षित क. 36 |
| 3.050 - | 3.150 | नाप ग्रा.पयां |
| 3.150 - | 3.214 | सिविल सोयम ग्रा.पयां |
| 3.214 - | 3.534 | आरक्षित क. 33 |
| 3.534 - | 3.634 | नाप दाबू |
| 3.634 - | 3.734 | सिविल सोयम दाबू |
| 3.734 - | 5.214 | आरक्षित क. 32 |
| 5.214 - | 5.314 | सिविल सोयम दाबू |
| 5.314 - | 5.514 | नाप दाबू |
| 5.514 - | 5.828 | वन पंचायत हड़ाप (किमगड़ी) |
| 5.828 - | 9.257 | आरक्षित क0 31,30 |
| 9.257 - | 9.500 | नाप हड़ाप (किमगड़ी) |

संकेत

| | |
|---|---|
| सिविल सोयम भूमि 364.00 M x 7 M = 0.255 H. | (पीला) |
| वन पंचायत भूमि 314-00 M x 7 M = 0.220 H. | (बैंगनी) |
| आरक्षित वन भूमि 7979.00 M x 7 M = 5.585 H. | (हरा) |
| नाप भूमि 843.00 M x 7 M = 0.590 H. | (नारंगी) |

जिला अधिकारी
बागेश्वर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – जखेडा

तहसीलदार
गरुड़

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (बज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

(28)

## रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त मार्ग के किनारे पौधारोपण हेतु राशि उपलब्ध हो जायेगी।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियंता<br>प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0<br>बागेश्वर | अधिशासी अभियंता<br>प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0<br>बागेश्वर |

प्रपत्र सं० 38

(29)

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का आंगणन

| क .सं | कार्य का नाम | मार्ग की लम्बाई | दर (लाख में) | प्रति | ईकाई | कुल लागत (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **पथ वृक्षारोपण** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक ख–3080 / 20–2 (ब.सं.स.) दिनांक 02.06.2007 द्वारा प्रति कि.मी. 100 पौध रोपण के मानक के अनुसार पत्रांक 89/3-5-2 दि० 6-6-2013 द्वारा संशोधित | 9.500 | ~~1.00~~ 2.00 | प्रति | कि.मी. | ~~9.50~~ 19.00 |

वनक्षैत्र अधिकारी
गड़खेत

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परियोजना का नामः— एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार ।

(30)

## आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10.00 कि0मी0 के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में ग्राम सभा की आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं संरेखण में आने वाली सभी प्रकार की भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। साथ ही बैठक में वनाधिकार कानून 2006 के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि वनाधिकार कानून से सम्बन्धित कोई भी मामला निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया गया।

स्थानः— दाबू

दिनांकः—26-10-2012

दरवानराम

हस्ताक्षर विमला देवी

प्रधान ग्राम पंचायत सिमगड़ी (दाबू) वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

ग्राम प्रधान / सरपंच

दरवानराम

सरपंच
वन पंचायत सिमगड़ी दौंबू
क्षेत्र गरूड़ (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत सिमगड़ी दौंबू

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## परियोजना की लम्बाई– चौड़ाई का विवरण।

| क0सं0 | भूमि की श्रेणी | लम्बाई (मीटर में) | चौड़ाई (मीटर में) | क्षेत्रफल है0 में। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आरक्षित वन भूमि | 7979 | 07 | 5.585 |
| 2 | सिविल सोयम भूमि | 364 | 07 | 0.255 |
| 3 | वन पंचायत भूमि | 314 | 7.00 | 0.220 |
| | **वन भूमि का योग** | **8657** | **07** | **6.060** |
| 4 | नाप भूमि | 843 | 07 | 0.590 |
| | **कुल योग** | **9500** | **07** | **6.650** |

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र सं. 8

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

(32)

**<u>वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।</u>**

प्रस्तावित परियोजना हेतु ...........2.....(दो)...........समरेखणों पर विचार किया गया। **समरेखण संख्या**– 2 का अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि से जाता है जिसमें वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है एवं कम परिवार लाभान्वित होते है। मानकों के अनुसार ग्रेड भी नहीं मिलता है इसलिए इसे भूवैज्ञानिक की संस्तुति के आधार पर निरस्त किया गया है। इसमें कुछ भाग कच्चे में जाता है।

**संरेखण संख्या 1** में आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त नाप भूमि, सिविल सोयम एवं कुछ भाग में वन पंचायत भूमि आती है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है। अधिक से अधिक जनता लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है। भूवैज्ञानिक की संस्तुति के अनुसार इस संरेखण को अनुमोदित किया गया है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 14

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पर्या मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(33)

## कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (धज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 26

(34)

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता,कु0क्षे0
# लोक निर्माण विभाग ,अल्मोड़ा

## भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी–119 / सड़क संरेखन / कुमायूँ / 2011

जनपद बागेश्वर विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत हरिनगरी–पप्या मोटर मार्ग का हड़ापदाबू तक विस्तार के 10 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दिसम्बर
2011

# जनपद बागेश्वर विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत हरिनगरी–पप्या मोटर मार्ग का हडापदाबू तक विस्तार के 10 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

## 1:—प्रस्तावना:—

जनपद बागेश्वर में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत हरिनगरी–पप्या मोटर मार्ग का हडापदाबू तक विस्तार के 10 किमी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दि0 20.12.2011 को श्री विनोद कुमार सहायक अभियन्ता, एवं श्री हीरा बल्लभ भट्ट अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके। चित्र (1 –2)

## 2— स्थिति:—

1— जनपद बागेश्वर में यह सड़क समरेखन जनपद बागेश्वर विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत हरिनगरी–पप्या के किमी0 6 से प्रारम्भ होता है। (चित्र–1)

2— भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार हडापदाबू 30°0'7.430"N अक्षांश तथा 79°38'16.559"E देशान्तर पर स्थित है। (चित्र–2)

## 3— भूगर्भीय स्थिति:—

यह सड़क समरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के अल्मोड़ा वर्ग ग्रेनाईट–ग्रेनोडायोराईट–सरयू फारमेशन के अन्तर्गत फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में महीन एवं मोटे पर्तवाली तीन प्रकार के ज्वाइंट से पूर्ण पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ स्थल क्षेत्र में नाईस–शिश्ट क्वार्टजाईट फारमेशन में फैला हुआ है। चट्टानों के ऊपर डेब्रिस तथा मिट्टी की परतें भी विद्यमान हैं।

चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत है–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 130–310 | / पूर्वोत्तर | / 65° | नति |
| 2– | 130–310 | / पूर्वोत्तर | / 67° | नति |
| 3– | 130–310 | / पूर्वोत्तर | / 69° | नति |
| 4– | 50–230 | / पश्चिमोत्तर | / 65° | ज्वाइंट |
| 5– | 50–230 | / पश्चिमोत्तर | / 67° | ज्वाइंट |
| 6– | 50–230 | / पश्चिमोत्तर | / 69° | ज्वाइंट |
| 7– | 130–310 | / दक्षिण पश्चिम | / 54° | ज्वाइंट |
| 8– | 130–310 | / दक्षिण पश्चिम | / 57° | ज्वाइंट |
| 9– | 130–310 | / दक्षिण पश्चिम | / 59° | ज्वाइंट |

इस सम्पूर्ण समरेखन में भूगर्भीय टेक्टोनिक कम निम्नवत है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस
शिश्ट
शिश्ट
नाईस
नाईस
क्वार्टजाइट

## 4– स्थल वर्णनः–

यह समरेखण जनपद बागेश्वर विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत हरिनगरी–पप्या मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर हड़ापदाबू मोटर मार्ग के 10.00 किमी0 लम्बाई में फैला हुआ है। उक्त मोटर मार्ग से यह सरेखण प्रारम्भ होकर पश्चिमत्त्तोर दिशा को पूर्वोत्तर दिशा के पहाडी ढलान के साथ समरेखण के अन्त तक जाता है। यह सम्पूर्ण समरेखण नाप/बेनाप से होकर गुजरता है। इस समरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान हैं। इस समरेखण के किमी0 1 में पापे गॉव तथा किमी0 6 एवं 7 में दाबू गॉव एवं किमी0 10 में हड़ाप ग्राम विद्यमान है। इस समरेखण का अधिकतम बेनाप एवं नाप में हैं। पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है।

इस समरेखण में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। इस समरेखण के किमी0 6, 7, 8, 9 एवं 9 में कई नाले विद्यमान है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखण स्थल देखे गये। प्रथम समरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है जिसका उपरोक्तानुसार विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वितीय समरखेण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है

## 5– स्थायित्व का विचारः–

इस समरेखण की स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1– यह सड़क समरेखण पर्वतीय क्षेत्र में है।

2– यह सड़क समरेखण भूकम्पीय क्षेत्र में है।

3– पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

4– इस सड़क समरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

5– इस समरेखण के किमी0 6, 7, 8, 9 एवं 9 में पेरिनियल नाले विद्यमान है।

6– यह समरेखण नाप एवं बेनाप से गुजरता है।

7– यह सड़क समरेखण में कई ग्राम विद्यमान हैं।

8– इस समरेखण में कोई भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

9– इस समरेखण में कई सूखे नाले हैं।

10– इस समरेखण में कोई भी पेरिनियल नाला विद्यमान नही हैं।

## 6– सुझावः–

इस सड़क समरेखण की स्थल की संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दियें जाते हैं।

1– पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

2– मोटर मार्ग के निर्माण करते समय सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे का निर्माण किया जाय।

3– मिट्टी/डेब्रिस/ग्राम वाले भाग में पहाड़ी कटान के बाद आवश्यकतानुसार ब्रैस्ट वाल का निर्माण किया जाय।

4– ग्रामों वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

5– इस समरेखण के किमी0 6, 7, 8, 9 एंव 9 में पेरिनियल नाले के ऊपर क्रमशः 4 मी0 6मी0 8 मी0 10 मी0 विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।

6– मिट्टी वाले/डेब्रिस वाले मार्ग के वाह्य भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मोटर मार्ग यथावत बना रहे।

7– पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने हेतु मिट्टी वाले भाग में वृक्षारोपण किया जाय।

8– पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही मार्ग का निर्माण किया जाय।

9– पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण हेतु किये जाने वालें उपायों को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

10– भूकम्पीय मानक के अनुरूप उपाय किए जाय।

11– अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हों किए जाय।

## 7– निष्कर्षः–

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

20.12.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

फोटो प्रति प्रमाणित

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 27 (38)

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

**भू—वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान. लोक निर्माण विभग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र · 17.1, 31, 32

**परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन का

**वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान. लोक निर्माण विभाग (निर्माण ऐजेन्सी)..द्वारा वन्य जीव/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। साथ ही मोटर मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईधन के लिए किरोसीन/ गैस विभाग अथवा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वनों को कोई क्षति न हो।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम एवं न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। मोटर मार्ग निर्माण में यथासम्भव विस्फोटक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। यदि निर्माण के दौरान विस्फोटक का प्रयोग अतिआवश्यक होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियंता<br>प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0<br>बागेश्वर | अधिशासी अभियंता<br>प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0<br>बागेश्वर |

उपत्र सं. 10

**परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।** (42)

## अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 6.060 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

तहसीलदार
गरुड़

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – जखेडा

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढखेत (वज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 30 (43)

**परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

**धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – ज...

तहसीलदार
गरुड़

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गढखेत (वज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 33

(54)

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।**

## लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

| | ग्राम | जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1— | मल्ला पयां | 287 |
| 2— | तल्ला पयां | 379 |
| 3— | दाबू, हड़ाप | 442 |
| 4— | सिमगढ़ी | |
| | **कुल योगः—** | **1108** |

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

57

## वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 6.060 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस– (Eco-classes -V ) के अन्तर्गत आता है एवं वानस्पतिक घनत्व लगभग 0.3 प्र.श. है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/ 1–42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार रू0 8.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रू0 51,20,700.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.000......प्रतिशत की दर से .....00.00.........रू0 होता है।

वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (बज्यूला)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्र सं. 43

(48)

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त / अन्तरीय धनराशि भी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 22

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

49

## Cost Benefit Ratio Chart

**Block:- Bageshwar** **Disti:- Bageshwar**

| SL. No. | Particulars | Amount | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | **Total cost (Investment incrred)** | | |
| (A) | Construction Cost of Project | 473.11 | As per sanctioned cost |
| (B) | N.P.V. Amount to be disposed @ 8.45 lak/Hararc 6.06 x8.45= 5120700.00 | 51.21 | As per formula prescribed by Hon. SC |
| (D) | Substitule/Alternation Planlation Cost to be Disposed:- | 18.00 | As per estimate given by Forest Department. |
| | **Total** | **542.32** | |
| 2 | Benefits:- Bebefits from (Taking Age of Road As 50 Years) | | |
| (A) | Economics Benefits-Market Development Taking | 3850.00 | |
| (B) | Direct Employment of Labours- | 190 Nos. | |
| (C) | Employment Generation Due to other activities | 34056 Nos. | |

**Note-** Therefore construction of motor road is economically viable and social bencficial.

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः— एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

50

Parameter for Evaluation of loss of Forests
Nature of Proposal

Annexure-VI (B)

| Sl.no. | Parameters | **Roads Tr. lines & Raliway line** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | **3** |
| 1 | Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities | Rs. 850278.00 or 266.035 cum wood. |
| 2 | Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder | Nil |
| 3 | Cost of human resettlement | Nil |
| 4 | Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project. | Nil |
| 5 | Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.) | Rs. 230.41 lac for 50 years or Rs. 4.60 lac per year which will be reduced after five year |
| 6 | Suffering to oustees | Nil |

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 22.2

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

51

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (C)

| Sl.no. | Parameters | **Roads Tr. lines & Raliway line** |
|---|---|---|
| 1 | Increase in productivity attributable to the specific project. | 39.00 |
| 2 | Benefits to economy | 38.00 |
| 3 | No. of population benefited. | 1108 |
| 4 | Employment potential. | 34056 Nos. |
| 5 | Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible. | Nil |
| 6 | Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land. | Nil |
| 7 | Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement. | Nil |
| 8 | Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction. | Nil |

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

## Detail of cost Benifit

<table>
<tr><th>Pareticulars</th><th>Details</th></tr>
<tr><td>1- Environmental losses.</td><td>As per guide lines –<br>For fully stacked forest (density 1.00 ) environmental value of 1 ha. = 126.74 lac over a period of 50 years.<br>Hence for 6.06 ha. Forest of density 03<br>= 126.74x6.06x0.3 = 230.41 lacs over a period of 50 years or Rs 4.6082 lac or 4.60 Lac. per year which will be reduced after 5 year due to natural growth of pine & other trees.</td></tr>
<tr><td>2-A. Increase in productivity attribute to the specific project.<br><br>220 families</td><td>Enhencement in production in both farm and non farm sectors approximately.<br>Cost of marketable surplus of farm products.
<table>
<tr><th>Products</th><th>Qty. in qtl.</th><th>Qty. in Kg.</th><th>Rate per Kg</th><th>Amount in lac.</th></tr>
<tr><td>1. गेहूँ</td><td>440</td><td>44000</td><td>11.00</td><td>4.84</td></tr>
<tr><td>2. आलू</td><td>1100</td><td>110000</td><td>15.00</td><td>16.50</td></tr>
<tr><td>3. मडुवा</td><td>440</td><td>44000</td><td>10.00</td><td>4.40</td></tr>
<tr><td>3. फल</td><td>220</td><td>22000</td><td>20.00</td><td>4.40</td></tr>
<tr><td>4 शब्जी</td><td>440</td><td>44000</td><td>1500</td><td>6.60</td></tr>
<tr><td>5. दालें</td><td>44</td><td>4400</td><td>60.00</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td>योग</td><td></td><td></td><td></td><td>39.38</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Say Rs. 39.00 Lac per year.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2-b. Benefit of Economy.</td><td>
<table>
<tr><th>Vehicle type</th><th>Number per day</th><th>Conversion factor.</th><th>PCU per day</th></tr>
<tr><td>Truck</td><td>10</td><td>3.00</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Bus</td><td>4</td><td>3.00</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Cars.</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>M/ycle</td><td>20</td><td>0.50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Jeep/Max</td><td>25</td><td>1.00</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total PCU per day</td><td>87</td></tr>
</table>
As per IRC norms, saving in VOC at 90-91 prices is Rs. 5.96 per Km. Per PCU.<br>Length of road = 10 Km.<br>Hence saving in VOC at 1990-91 prices =<br>87 x 10 x 5.96 = Rs. 5185.20 per day.<br>At 20010-11 prices = 2x 5185.20 = 10370.40 per day or Rs. 37.85196.00 Say Rs.38.00 lac per year.</td></tr>
</table>

Assistant Engineer
Irrigation Division (PWD)
Bageshwar

Executive Engineer
Irrigation Division (PWD)
Bageshwar

55

प्रपत्र सं. 41

HARINAGRI- PAYA TO DABU HARAP M/R

# MUCK DISPOSAL PLAN

56

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी—पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार ।

भारत सरकार के पत्रांक 11 / मिस0 / 618 / 2010 / उ0प्र0, राज0, उत्तराखंड / 11 / 58 दिनांक 16. 04.2041साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

## Summary of MUCK DISPOSAL PLAN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied | 26600 Cum. As per item 1 of enclosed muck disposal plan. |
| 2 | Quantity of muck to be utilized in the project activities. | Approximate 85% i.e. 22611 Cum. As per item 2 of enclosed muck disposal plan. |
| 3 | Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan. | 3989 cum, As per item 3 of enclosed muck disposal plan. |
| 4 | Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site. | Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 2,19,395.00 As per item 4 of enclosed muck disposal plan. |
| 5 | Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site) | Govt. land R.F..( Private land not available). Muck disposal site shown in Google map with co-ordinates. Carrying capacity of proposed dumping site 4050cum. as shown in item 5 (a) of enclosed muck disposal plan. |
| 6 | Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. | Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site is Rs. 6,68,250.00 being made as per item 5(b) of enclosed muck disposal plan. . Hence total provision for muck disposal is Rs.2,19,395.00 + Rs. 6,68,250.00= Rs. 8,87,645.00 will be made in detail estimate after sanction of forest land. |
| 7 | Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species | Dumping site selected in khud side of the proposed motor road which area already included in land schedule of R.F. After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this department. |

Note:- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be mentioned.
Enclosed - Muck disposal plan and other papers.

**Undertaking**

I undertaking that -

1. Muck management plan will be implemented by the user agency.
2. The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3. Dumping site is also located in reserved forest as alignment is passing throughout RF.

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 बागेश्वर

| | | |
|---|---|---|
| Junior Engineer<br>Provincial Division PWD<br>Bageshwar | Assistant Engineer<br>Provincial Division PWD<br>Bageshwar | Executive Engineer<br>Provincial Division PWD<br>Bageshwar |

(57)

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार ।

# MUCK DISPOSAL PLAN

1 Maerial received from hill side cutting

1/3 x 9500x 3x2.5+1.5/ 2 = 19000.00 Cum

40 % for swell factor = 7600.00 Cum

Grand total :- = 26600.00 Cum.

2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below-

| S No. | ITEM | QUANTITY (Cum) |
|---|---|---|
| 1. | R.R. Stone Masonary laid in 1:6 | 7262 |
| 2. | R.R. Stone Masonary laid in dry | 7262 |
| 3. | Hand Packed Stone Filling | 2971 |
| 4. | Wire-crate Construction | 1485 |
| 5. | Parapet Construction | 0 |
| 6. | Granular Sub-base/Base/Surface 00 | 3631 |
| | Total Muck | **22611** |

3 Balance material (muck) to be deposited in muck disposal site.(1-2 above) = 3989 Cum,

4 Cost of cartage of balance muck upto dumping site 3989 Cum @ Rs. 55.00/Cum. = Rs. 2,19,395.00

5 Location and capacity of muck dumping yard.

(a) Construction of R.R. dry wall including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

| Location | Size of dumping yard. | Qty. (in cum) | Type of land | Capacity of dumping yard. |
|---|---|---|---|---|
| In KM. 1 | 1x 75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| In KM. 2 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum |
| In KM. 3 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F | 450 Cum. |
| In KM. 4 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F | 450 Cum |
| In KM. 5 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| In KM. 6 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| In KM. 7 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| In KM. 8 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| In KM. 9 | 1x75x2x1.5 | 225 | R.F. | 450 Cum. |
| | Total= | 2025 | | 4050 Cum. |

(b) Total cost of construction of dumping yard 2025 cum @ 330.00 per cum. = Rs. 6,68,250.00

6 Total Cost of muck disposal plan ( 4 + 5(b) =Rs. 8,87,645.00

7 Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of mtor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

| Junior Engineer | Assistant Engineer | Executive Engineer |
|---|---|---|
| PD PWD Bageshwar | PD PWD Bageshwar | PD PWD Bageshwar |



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 29

**परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।** (58)

## :मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होंगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखंड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

59

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करकें सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेंगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

**प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है।**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर